रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-13112026-277889
CG-HR-E-13112026-277889

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 671] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2026/कार्तिक 15, 1948
No. 671] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2026/KARTIKA 15, 1948

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 23 अक्तूबर, 2026

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर लागू वितरण लाइसेंस की विशिष्ट शर्तें) विनियम, 2026।

सं. JERC-39/2026.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14, 15 एवं 16 को धारा 181 के साथ पठित, तथा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) (पारेषण एवं वितरण अनुज्ञप्ति) विनियम, 2020 के विनियम 71 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के पश्चात, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रवर्तन

1.1 इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर लागू वितरण लाइसेंस की विशिष्ट शर्तें) विनियम, 2026 कहा जाएगा।

1.2 ये विनियम संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के उस लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र पर लागू होंगे, जिसका उल्लेख संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रशासन द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2022 को राजपत्र में अधिसूचित अंतरण योजना, 2022 में किया गया है। ये विनियम दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (संक्षेप में डीएनएचडीडीपीडीसीएल) द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में विद्युत के वितरण एवं खुदरा आपूर्ति के संबंध में लागू होंगे। ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

1.3 इन विनियमों के प्रावधान आयोग के अन्य विनियमों के पूरक होंगे तथा उनकी व्याख्या उनके साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए की जाएगी। यदि कोई विषय इन विनियमों में विशेष रूप से उपबंधित नहीं है, तो संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) (पारेषण एवं वितरण अनुज्ञप्ति) विनियम, 2020 के प्रावधान लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

2.1 इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "सामान्य शर्तें" से अभिप्राय उन लाइसेंस शर्तों से है, जो संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) (पारेषण एवं वितरण अनुज्ञप्ति) विनियम, 2020 में विनिर्दिष्ट हैं तथा लाइसेंसधारी पर लागू होती हैं।

(ख) "विशिष्ट शर्तें" से अभिप्राय उन लाइसेंस शर्तों से है, जो इन विनियमों में विनिर्दिष्ट हैं तथा लाइसेंसधारी पर लागू होती हैं।

2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जिन्हें इनमें विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो विद्युत अधिनियम, 2003 में उन्हें दिए गए हैं। यदि ऐसे शब्द या अभिव्यक्तियाँ अधिनियम तथा आयोग के विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, किंतु संसद द्वारा अधिनियमित किसी अन्य विधि में परिभाषित हैं और राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र पर लागू होती हैं, तो उनके वही अर्थ होंगे जो उक्त विधि में उन्हें दिए गए हैं।

3. प्रयोज्यता

ये विशिष्ट शर्तें, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) (पारेषण एवं वितरण लाइसेंसिंग) विनियम, 2020, जो वितरण लाइसेंसधारियों के लिए सामान्य शर्तें विनिर्दिष्ट करते हैं तथा समय-समय पर यथा प्रवृत्त हों, के अतिरिक्त, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंसधारी डीएनएचडीडीपीडीसीएल की लाइसेंस की शर्तें मानी जाएंगी। डीएनएचडीडीपीडीसीएल, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में स्थित है।

4. वितरण क्षेत्र अथवा विद्युत आपूर्ति क्षेत्र

4.1 वह विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, जिसके अंतर्गत डीएनएचडीडीपीडीसीएल विद्युत आपूर्ति करने के लिए अधिकृत है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा, जैसा कि संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रशासन द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2022 को राजपत्र में अधिसूचित अंतरण योजना, 2022 में उल्लिखित है। विद्युत वितरण हेतु उक्त योजना के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2022 थी। यह क्षेत्र उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों एवं अपवर्जनों के अधीन होगा तथा समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार लागू होगा।

4.2 लाइसेंस के निलंबन, समाप्ति अथवा निरस्तीकरण जैसी किसी घटना के घटित होने पर डीएनएचडीडीपीडीसीएल उक्त घटना की तिथि से अपना लाइसेंसधारी का दर्जा खो देगा।

5. लाइसेंस की अवधि

5.1 डीएनएचडीडीपीडीसीएल, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत एक मानित वितरण लाइसेंसधारी है (जिसे आगे "लाइसेंसधारी" कहा जाएगा)। लाइसेंस की अवधि अंतरण योजना, 2022 के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि अर्थात् 1 अप्रैल, 2022 से 25 वर्ष होगी और 31 मार्च, 2047 तक वैध रहेगी, अथवा अधिनियम एवं नियमों के अनुसार निरस्त या नवीनीकृत किए जाने तक वैध रहेगी।

5.2 लाइसेंसधारी लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से एक वर्ष पूर्व उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

5.3 आयोग, स्वतः संज्ञान लेते हुए अथवा लाइसेंसधारी के आवेदन पर, अधिनियम की धारा 18 तथा JERC (पारेषण एवं वितरण अनुज्ञप्ति) विनियम, 2020 के विनियम 25 के प्रावधानों के अधीन, इन विनियमों में परिवर्तन, संशोधन अथवा परिवर्धन कर सकता है।

विशिष्ट शर्तें

6. विशिष्ट शर्तों एवं लाइसेंस का निरीक्षण

लाइसेंसधारी इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि के तत्काल बाद, लाइसेंस की इन विशिष्ट शर्तों को जनसाधारण के निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

7. निर्बाध विद्युत आपूर्ति

लाइसेंसधारी आपूर्ति क्षेत्र में प्रतिदिन चौबीसों घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।

8. दंड

लाइसेंसधारी अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के लागू प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

9. अंतरण योजना

इन विनियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव विद्युत (पुनर्गठन एवं सुधार) अंतरण योजना, 2022 का इन विनियमों के ऐसे किसी भी प्रावधान पर अधिभावी प्रभाव होगा, जो उक्त अंतरण योजना, 2022 के विपरीत हो अथवा उससे टकराता हो।

10. विविध

10.1 लाइसेंसधारी विद्युत अधिनियम, 2003 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के तहत विद्युत निरीक्षक को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उसके द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा।

10.2 लाइसेंसधारी के गठन अथवा उसकी वर्तमान शेयरधारिता संरचना में किसी परिवर्तन की स्थिति में, लाइसेंसधारी आयोग को ऐसे परिवर्तन की सूचना तत्काल देगा और किसी भी स्थिति में उक्त परिवर्तन की तिथि से पंद्रह (15) दिनों के बाद नहीं देगा।

10.3 लाइसेंसधारी आयोग द्वारा समय-समय पर अपेक्षित प्रारूप में रिपोर्ट, सूचना एवं आँकड़े प्रस्तुत करेगा।

11. विवाद निपटान एवं इन विनियमों की व्याख्या संबंधी निर्णय

11.1 लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय से संबंधित सभी विवादों का निपटान विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

11.2 इन विनियमों की व्याख्या से संबंधित सभी विषय आयोग के निर्धारण के अधीन होंगे तथा ऐसे विषयों पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12. राज्य ग्रिड कोड का अनुपालन

12.1 लाइसेंसधारी, जहाँ तक ये उस पर लागू हों, समय-समय पर यथा संशोधित JERC (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

13. वितरण कोड का अनुपालन

13.1 लाइसेंसधारी समय-समय पर यथा संशोधित JERC (वितरण कोड) विनियम, 2010 को लागू करेगा तथा उनका अनुपालन करेगा।

14. ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा

14.1 लाइसेंसधारी समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत वितरण कंपनियों में ऊर्जा लेखापरीक्षा के संचालन की विधि एवं अंतराल) विनियम, 2021 को लागू करेगा तथा उनका अनुपालन करेगा।

14.2 लाइसेंसधारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक ऊर्जा लेखापरीक्षा कराएगा तथा संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार माह की अवधि के भीतर वार्षिक ऊर्जा लेखापरीक्षा रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेगा और उसे अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराएगा।

15. उपभोक्ता चार्टर

15.1 लाइसेंसधारी एक उपभोक्ता चार्टर तैयार करेगा, उसका प्रचार-प्रसार करेगा तथा उसका पालन करेगा। इस चार्टर में उपभोक्ताओं के सभी अधिकारों, हकदारियों एवं उत्तरदायित्वों तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित लाइसेंसधारी के दायित्वों का विवरण होगा। इसमें अधिनियम तथा अन्य लागू विधियों एवं विनियमों के अंतर्गत लाइसेंसधारी द्वारा सुनिश्चित सेवा स्तरों तथा उनके पारस्परिक संबंधों के अन्य पहलुओं का भी विवरण होगा।

उपभोक्ता चार्टर में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुमोदित उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया, उपभोक्ता अधिकार संबंधी विवरण तथा उपभोक्ता के कनेक्शन, खपत, आकलन आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उसके अधिकार का समावेश होगा।

16. उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया

16.1 लाइसेंसधारी आयोग द्वारा निर्धारित शिकायत निवारण प्रक्रिया का अनुपालन करेगा। लाइसेंसधारी निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:—

(क) समय-समय पर संशोधित शिकायत निवारण प्रक्रिया की एक प्रति, सामान्य कार्य समय के दौरान, संबंधित प्रत्येक परिसर में जनसाधारण के निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी; तथा

(ख) समय-समय पर संशोधित उक्त प्रक्रिया की एक प्रति प्रत्येक नए उपभोक्ता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, अनुरोध करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को भी उक्त प्रति उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए ली जाने वाली राशि उसकी प्रतिलिपि तैयार करने की लागत से अधिक नहीं होगी।

17. उपभोक्ता के अधिकार एवं सूचना का अधिकार

17.1 लाइसेंसधारी समय-समय पर यथा संशोधित विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

17.2 उपभोक्ता के अनुरोध पर, लाइसेंसधारी उसे ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जो लाइसेंसधारी के पास युक्तिसंगत रूप से उपलब्ध हो, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(क) लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं की जानकारी, जिसमें आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभारों अथवा टैरिफ की जानकारी भी शामिल होगी;

(ख) लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता के परिसर में प्रदान की जाने वाली विद्युत सेवाओं के संबंध में मीटर रीडिंग की जानकारी; तथा

(ग) लाइसेंसधारी के पास उपभोक्ता के खाते की स्थिति से संबंधित जानकारी।

17.3 लाइसेंसधारी इस खंड के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उचित राशि वसूल कर सकता है, बशर्ते कि अनुरोधित जानकारी सामान्य प्रकृति की न हो।

18. विधियों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन

लाइसेंसधारी अधिनियम तथा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, आदेशों एवं निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

18.1 लाइसेंसधारी, जहाँ तक लागू हो, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों, दिशानिर्देशों एवं निर्देशों का अनुपालन करेगा।

18.2 लाइसेंसधारी उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) अथवा विद्युत लोकपाल द्वारा जारी आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करेगा।

18.3 लाइसेंसधारी लाइसेंस में विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों के अनुसार कार्य करेगा, सिवाय उन मामलों के जहाँ आयोग द्वारा उसे विशेष रूप से छूट प्रदान की गई हो अथवा किसी विचलन की अनुमति दी गई हो।

18.4 लाइसेंसधारी राज्य भार प्रेषण केंद्र (SLDC), राज्य पारेषण उपयोगिता (STU) तथा अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा उनके कार्यों के निर्वहन में जारी आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करेगा।

18.5 लाइसेंसधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के संबंध में संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) (वितरण लाइसेंसधारियों के लिए निष्पादन मानक) विनियम, 2015 तथा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2018 का, समय-समय पर यथा संशोधित, पालन करेगा।

19. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

यदि इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकता है, जो अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल न हों तथा कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हों।

20. छूट प्रदान करने की शक्ति

आयोग जनहित में तथा लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में छूट प्रदान कर सकता है।

राजेश दांगी, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./442/2026-27]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa & UTs)

NOTIFICATION

Gurugram, the 23rd October, 2026

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (Specific Conditions of Distribution License applicable to Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Power Distribution Corporation Limited) Regulations, 2026.

No. JERC-39/2026.—In exercise of powers vested under Section 14, 15 and 16 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003, and Regulation 71 of the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Transmission and Distribution Licensing) Regulations, 2020, and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories), hereby makes the following Regulations, namely: —

1. Short Title, Extent and Commencement

20.3 These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission (Specific Conditions of Distribution License applicable to **Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Power Distribution Corporation Limited**) Regulations, 2026**.**

1.2 These Regulations shall extend to the licensed area of Union Territory of **Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu** as mentioned in the Transfer Scheme 2022 notified in the Official Gazette of U.T. Administration of Dadra and Nagar and Haveli and Daman Diu on 9th March 2022 for Distribution and Retail Supply of Electricity by **Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Power Distribution Corporation Limited** (in short DNHDDPDCL) within the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

1.3 The provisions of these Regulations shall be supplemental to the other Regulations of the Commission and shall be construed harmoniously with them. In the event of any matter not specifically provided for in these Regulations, the provisions of the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Transmission and Distribution Licensing) Regulations, 2020, shall apply.

2. Definitions:

2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires: —

(a) "**General Conditions"** means conditions of the Licence which are applicable to the Licensee specified in Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Transmission and Distribution Licensing) Regulations, 2020.

(b) **"Specific Conditions"** mean Conditions of the Licence which is applicable to the Licensee as specified in these Regulations;

2.2 Words and expressions used in these Regulations if not specifically defined herein, but defined in the Act, shall have the meanings assigned to them in the Electricity Act, 2003, but if are not defined under the Act and Regulations of the Commission and defined under any other law enacted by Parliament and applicable to the electricity sector in the State or Union territory, shall have the meanings assigned to them under such law.

3. Applicability:

These Specific Conditions, in addition to the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Transmission and Distribution Licensing) Regulations, 2020 specifying the general conditions for Distribution Licensees, as may be in force from time to time, shall be deemed to be the conditions of licence of DNHDDPDCL, a Company incorporated under Companies Act, 2013, and having registered office in **Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu**, the licensee in accordance with the provisions of the Act.

4. Area of Distribution" or "Area of Supply:

4.1 The Area of Supply within which DNHDDPDCL is authorized to supply electricity shall be the whole of the geographical area of Union Territory of **Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu** as mentioned in the Transfer Scheme 2022 notified in the Official Gazette of U.T. Administration of Dadra and Nagar and Haveli and Daman Diu on 9th March 2022 and the effective date for the implementation was 1st April 2022 for Distribution of Electricity as amended from time to time subject to such conditions and exclusions as specified in the said notification.

4.2 In case of events such as suspension / termination, or revocation of the licensee period etc., the DNHDDPDCL shall lose its status as a licensee status from date of such event.

5. Terms / Tenure of the Licence:

5.1 DNHDDPDCL is a deemed distribution licensee under the Electricity Act, 2003 (hereinafter referred to as Licensee) and the license shall be valid for a period of 25 years till 31st March 2047 from the effective date for implementation of the Transfer Scheme 2022 i.e. 1st April 2022, or until revoked or renewed in accordance with the Act and Rules.

5.2 The Licensee shall file an application for renewal of license, one year before the expiry of license tenure.

5.3 The Commission may suo-moto or on application by the licensee may alter or amend or modify these regulations subject to provision of Section 18 of the Act and Regulation 25 of the JERC (Transmission and Distribution Licensing) Regulations, 2020.

Specific Conditions

6. Inspection of Specific Conditions and Licence:

The Licensee shall make provision for public inspection of these Specific Conditions of Licence, immediately after the date of notification of these Regulations.

7. Un-interrupted power supply:

The Licensee shall make provisions for uninterrupted power supply for twenty-four hours in a day within the area of supply.

8. Penalty:

The Licensee shall be liable for penal action under the applicable provisions of the Act and the Rules and the Regulations made thereunder.

9 **Transfer Scheme:**

Notwithstanding anything contained in these Regulations the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Electricity (Reorganisation and Reforms) Transfer Scheme, 2022 shall have an overriding effect on any provision of these Regulations that is contrary to or in conflict with the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Electricity (Reorganisation and Reforms) Transfer Scheme, 2022.

10 **Miscellaneous:**

10.1 The Licensee shall comply the directions of the Electrical Inspector pursuant to the power vested in it under the Electricity Act, 2003 and rules & regulations made there under.

10.2 The Licensee shall, in the event of a change in its constitution or existing share holding pattern, immediately, in no case later than fifteen (15) days from the date thereof, inform the Commission of such change.

10.3 The Licensee shall submit such report, information, data in such form as called by the Commission from time to time.

11 **Dispute Resolution and Decision on Interpretation of these Regulations:**

11.1 All dispute in terms of licensed business shall be dealt in accordance with the provisions of the Electricity Act, 2003.

11.2 All issues arising in relation to interpretation of these Regulations shall be a matter for the determination of the Commission and the decision of the Commission on such issues shall be final.

12 **Compliance with State Grid Code;**

12.1 The Licensee shall comply with the provisions of the JERC (State Grid Code) Regulations,2010 as amended from time to time, in so far as applicable to it.

13 **Compliance with the Distribution Code:**

13.1 The Licensee shall implement and comply with the JERC (Distribution Code) Regulations,2010 as amended from time to time.

14 **Energy Accounting and Audit:**

14.1 The Licensee shall implement and comply with the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals for Conduct of Energy Audit in electricity distribution companies) Regulations, 2021 as amended from time to time.

14.2 The Licensee shall conduct an annual energy audit for every financial year and submit the annual energy audit report to the Commission and also make available on its website within a period of four months from the expiry of the relevant financial year.

15 **Customer Charter:**

15.1 The Licensee shall prepare, publicise and adhere to a Customer Charter detailing all the rights, entitlements and responsibilities of the consumers and obligations of the Licensee relating to supply of electricity including the Licensee's guaranteed service levels and other aspects of their relationship under the Act and other applicable laws and regulations. The Customer Charter shall include among other things approved consumer complaint handling procedure, consumer right statement and consumer right to information regarding his connection, consumption, assessment, etc.

16 **Consumer Complaint Handling Procedure:**

16.1 The Licensee shall comply with the Complaint Handling Procedure specified by the Commission. The Licensee shall:

(a) make a copy of the Complaint Handling Procedure, revised from time to time, available for inspection by the public at each of the relevant premises during normal working hours; and

(b) provide free of charge a copy of the Procedure revised from time to time to each new Consumer, and to any other person who requests it at a price not exceeding the cost of duplicating it.

17 **Consumer's Rights and Right to Information:**

17.1 The Licensee shall comply with the provisions of the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 as amended from time to time.

17.2 The Licensee, on request of the consumer, to the extent that is reasonably available to the Licensee provide:

(a) information on all services provided by the Licensee including the information on the charges or Tariff as approved by the Commission;
(b) information on meter readings for the electricity services provided to the consumer premises by the Licensee; and
(c) information on the status of the consumer's account with the Licensee;

17.3 Licensee may charge a reasonable amount for providing information under this section unless the information requested is of general nature.

18 **Compliance with the Laws, Rules and Regulations:**

The Licensee shall comply with the provisions of the Act and the Rules, and Regulations, Guidelines, Orders and Directions issued by the Commission from time to time.

18.1 The Licensee shall comply with the Regulations, Guidelines, Directions issued by the Central Electricity Authority and Central Electricity Regulatory Commission as applicable.

18.2 The Licensee shall comply with the Orders or Directions issued by the Consumer Grievances Redressal Forum (CGRF) or Ombudsman.

18.3 The Licensee shall act in accordance with these general conditions specified in the licence except where the Licensee is exempted specifically or permitted by the Commission for any deviation.

18.4 The Licensee shall comply with the orders and directions issued by the State Load Despatch Centre, STU and other statutory authorities in the discharge of their functions.

18.5 The Licensee shall adhere to the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & UTs (Standard of Performance for Distribution Licensees) Regulations, 2015. and the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and UTs (Electricity Supply Code) Regulations, 2018 as amended from time to time in regard to supply of electricity in its area of supply.

19 **Power to remove difficulties:**

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific Order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act as may appear to be necessary for removing the difficulty.

20. **Power to Relax:**

The Commission may in public interest and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision(s) of these Regulations.

RAJESH DANGI, Secy. (I/c)

[ADVT.-III/4/Exty./442/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
BHABAJIT DEKA